सं. 104/102/2009-सीआरएस
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
(सीआरएस सेल)
....

नई दिल्ली, दिनांक 4.11.2009

आदेश

विषय : **टेलीफोन/रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रसारण के लिए भारत की डी.ए.वी.पी. विज्ञापन नीति के संबंध में।**

मंत्रालय ने पैनल में शामिल की गई सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) के लिए विज्ञापन दरों को अंतिम रूप दिया है। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं :

i) संबंधित सामुदायिक रेडियो स्टेशन को कम से कम 2 घण्टे प्रति दिन प्रसारण के साथ 3 माह के प्रचालन की सतत् अवधि पूरी कर लेनी चाहिए।

ii) आगामी आदेशों के जारी किए जाने तक अनुरोध प्राप्त होने के बाद डीजी, डीएवीपी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को पैनल में शामिल करने पर मामले-दर-मामले आधार पर विचार करेंगे।

iii) किसी सामुदायिक रेडियो स्टेशन को डीएवीपी पैनल में शामिल करने की प्रसारण दर 1 रू. प्रति सेकण्ड होगी और यह दर प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

2. कार्य कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों से विज्ञापन/प्रायोजित कार्यक्रमों की मांग कर सकते हैं।

हृ0/-
(अभिलक्ष लिखी)
निदेशक (बीडी)
टेलीफोन नं. 23385016

सेवा में,

1. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिव/सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।
2. कार्य कर रहे सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशन (संलग्न सूची के अनुसार)
3. सभी आशय-पत्र धारी (संलग्न सूची के अनुसार)
4. जांच समिति के सभी सदस्य (संलग्न सूची के अनुसार)